INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

सत्यमेव जयते
BPSC

LATEST EDITION

HINDI MEDIUM

Golden Edition

HANDWRITTEN NOTES

BPSC

(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

ACHIEVE YOUR DREAM THROUGH SELF STUDY WITH INFUSION NOTES

BASED ON NEW EXAM PATTERN

PART-2 भारत और बिहार की राजव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

BPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION

भाग – 2

भारत और बिहार की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**BPSC (Bihar Public Service Commission) (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **बिहार लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/y7qfk6

Online Order करें - https://bit.ly/449wOMs

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

भारतीय राजव्यवस्था

क्र.सं	अध्याय	पेज न.
1.	संविधान निर्माण • राजव्यवस्था का परिचय • संवैधानिक योजना की तुलना • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • संविधान सभा	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ • संविधान के विस्तृत होने के कारण • संविधान के स्रोत	14
3	संविधान संशोधन • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • प्रमुख संशोधन	22
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना) • प्रस्तावना के मुख्य शब्द • राज्य के उद्देश्य	33

	• प्रस्तावना का महत्त्व	
5.	संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र	39
6.	नागरिकता	41
7.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों का विवरण • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • मौलिक अधिकारों की आलोचना	43
8.	राज्य के नीति निदेशक तत्व • नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ • निदेशक तत्वों का वर्गीकरण • नीति निदेशक तत्वों की आलोचना	56
9.	मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण • मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ	64
10.	राष्ट्रपति • योग्यता, निर्वाचन व पद की शर्तें • कार्यकरी शक्तियाँ	72

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	• वीटो पावर • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति	
11.	उपराष्ट्रपति • योग्यता, निर्वाचन व पद की शर्तें • कार्यकारी शक्तियाँ	95
12.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य • मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल • मंत्रिपरिषद् की संरचना • भूमिका कार्य एवं शक्तियाँ	100
13.	भारतीय संसद • संघीय विधानमंडल • लोकसभा • राज्यसभा • संसद की कार्यवाही • संसदीय समितियां	109
14.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन	127
15.	केन्द्र - राज्य संबंध	144

16.	विभिन्न आयोग • निर्वाचन आयोग • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • नीति आयोग • केन्द्रीय सतर्कता आयोग • संघ लोक सेवा आयोग • लोकपाल • केंद्रीय सूचना आयोग • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	147
17.	राजनैतिक दल • भारत में दलीय व्यवस्था • दल परिवर्तन कानून	180
18.	राष्ट्रीय एकीकरण	186
19.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	199
20.	जिला प्रशासन • स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ	213
	बिहार की राजव्यवस्था	
1.	राज्यपाल	228

2.	बिहार विधानसभा	232
3.	विधानपरिषद्	234
4.	मंत्रिपरिषद	238
5.	महाधिवक्ता	244
6.	लोकायुक्त	244
7.	बिहार में प्रमुख आयोग • न्यायपालिका	245
8.	प्रशासनिक व्यवस्था	251
9.	स्थानीय स्वशासन	255

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

A. 2 एवं 3 B. 1, 2, एवं 3
B. 1, 3 एवं D. 1,2, 3, 4

उत्तर - D

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773
B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर - A

अध्याय - 2

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1. भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गए हैं भारतीय संविधान के ऐसे कई तत्व हैं जो इससे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाते हैं।

- 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं विशेष रूप से 7 वें, 42वें, 44 वें, 73 वें , 74 वें , 97 वें और 101 वें संशोधन में।
- संविधान में कई बार बड़े परिवर्तन करने वाले 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ' मिनी कॉन्सटियूटशन कहा जाता है हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्चय न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती।
- **नोट :-** भारतीय संविधान का संरक्षक : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय अदालत जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है ।

(1) **सबसे लम्बा लिखित संविधान** - मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, **वर्तमान में प्रस्तावना में 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभक्त) और 12 अनुसूचियाँ है।**

सन् 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग (भाग- VII) को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग (4 क, 9 क, 9 ख, और 14 क) और 4 अनुसूचियों (9,10,11,12) की जोड़ा गया ।

Note :- संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है ।

डॉ. अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि, "भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है।"

संविधान

- लिखित (अमेरिका)
- अलिखित (ब्रिटेन)

- **संविधान के विस्तृत होने का कारण**
- भौगोलिक विस्तार व विविधता
- ऐतिहासिक (1935 अधिनियम)
- जम्मू कश्मीर का अलग संविधान
- संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व

(2) विभिन्न स्त्रोतों से विहित

1. भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत - शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए डॉ. अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। "

- ढांचागत हिस्सा (1935 अधिनियम से)
- संविधान का दार्शनिक भाग

a) मौलिक अधिकार (अमेरिका)
b) DPSP (आयरलैण्ड से)

(3) नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय

- नम्य (ब्रिटेन)
- नम्य + अनम्य (भारत)
- अनम्य (अमेरिका)

नम्यता –यहाँ नम्यता से तात्पर्य लचीला से है अर्थात् जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। अनम्यता –यहाँ अनम्यता का अर्थ कठोर से है अर्थात् जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया नहीं जा सके ।

1. अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है -

(अ) कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है उदाहरणार्थ, दोनों **सदनों** में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो - तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत।

(ब) कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है।

(4) एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था ।

- भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है ।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है।
- भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ।
- **भारत का उल्लेख 'राज्यों का संघ' के रूप में किया गया है।**
- "राज्यों के संघ" के रूप में दो अभिप्राय है- पहला- भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए इस समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरे किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

(5) सरकार का संसदीय रुप

- भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। जो ब्रिटेन से ली गई है।
- अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है।
- भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्न है -

(क) वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति,
(ख) बहुमत दल वाले की सत्ता,
(ग) विधायिका के समय कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही ,
(घ) विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।
(ङ) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व,
(च) निचले सदन का विघटन (लोकसभा अथवा विधानसभा)

प्रश्न. निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए -

A. भारत सरकार अधिनियम 1919,1921 में लागू हुआ।

A. यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

B. मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

C. इस अधिनियम में केन्द्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था।

उत्तर - B

(6) संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

(इग्लैण्ड में) **(अमेरिका में)**

- अमेरिका में 'विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि **भारतीय संविधान में " विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान** है ।

2. संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका के सर्वोच्चयता का सिद्धांत, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है।

- जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ' का प्रावधान है ।
- एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है।

(7) एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका

- भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है।
  - सुप्रीम कोर्ट (SC)
  - 25 हाइकोर्ट (HC)
  - अधीनस्थ कोर्ट (DC)

(8) मौलिक अधिकार (भाग -3)

- समानता का अधिकार (Art- 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25-28)
- संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (Art 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Art 32)
- मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, । यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है।
- मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनु. 20 - 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है।

प्रश्न. निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी -

A. यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था।
B. इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था।
C. इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केन्द्र में लागू किया।
D. अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे।

उत्तर - D

- **अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपात काल में स्थापित हो जाते हैं।**

(9) राज्य के नीति निदेशक तत्व

1. नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, इनका उद्देश्य भारत में एक "कल्याणकारी राज्य " की स्थापना करना है हलांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है किन्तु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है अर्थात जनमत।

यह तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

a) सामाजिक
b) गांधीवादी
c) उदार बौद्धिक

- **उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना ।**
- मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नीव मौलिक अधिकारो, नीति निदेशक सिद्धान्तों के संतुलन पर रखी गई है।

आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।

- (द) राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) :- राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है।

(15) आपातकालीन प्रबन्ध

- राष्ट्रीय आपात काल (Art - 352)
- राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन (Art - 356 या 65)
- वित्तीय आपातकाल (Art-360)
- आपातकाल के दौरान सत्ता केन्द्र के हाथ में होती है।

(1) राष्ट्रीय आपातकाल :- युद्ध आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रपति अशांति की अवस्था (अनु - 352)

(2) राज्य में आपातकाल,:- (राष्ट्रपति शासन) - राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता (अनु - 356) या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता (अनु- 365)

- (3) वित्तीय आपातकाल :- भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यक्ष संकट में हो (अनु - 360)

(16) त्रिस्तरीय सरकार

- केन्द्र
- राज्य
- पंचायत
- भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज व्यवस्था थी।
- 1992 में 73 वें 74 वें संविधान संशोधन में तीन त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया ।

- **संविधान के स्रोत**

1. भारतीय संविधान के स्त्रोत :-

संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उनमें से श्रेष्ठ तथ्यों का उपयोग करके हमारे संविधान की रचना की अतः हमारे संविधान के प्रमुख स्त्रोत निम्न थे ।

1. भारत सरकार अधिनियम 1935 :-

यह हमारे संविधान का प्रमुख स्त्रोत है । संविधान के लगभग दो-तिहाई प्रावधान इसी से लिये गये हैं, जो कि लगभग 250 अनुच्छेद हैं । उनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद या प्रावधान निम्न हैं –

- द्वि-सदनीय व्यवस्था
- first past the post (अग्रेता ही विजय) अर्थात् सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला ही विजय होगा ।
- प्रान्तीय स्वायत्तता
- राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति
- राज्यपालों के पास वीटो पावर
- CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) महानिदेशक
- अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
- समवर्ती सूची
- अध्यादेश जारी करना
- रिट (WRIT) जारी करना

2. ब्रिटेन के संविधान से :-

- संसदीय शासन व्यवस्था
- त्रिसदनीय शासन व्यवस्था
- मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व (निम्न सदन के प्रति)
- एकल नागरिकता
- first past the post
- विधि का शासन अर्थात् विधि के समक्ष समता
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद्

3. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से :-

- स्वतंत्र न्यायपालिका
- न्यायिक पुनरावलोकन
- मूल अधिकार
- राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया (हटाने की)
- उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया
- उपराष्ट्रपति का पद
- प्रस्तावना की पहली पंक्ति
- विधि का समान संरक्षण
- विधि की सम्यक प्रक्रिया

4. कनाड़ा के संविधान से :-

- संघीय ढाँचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास हो

- संविधान के भाग IX के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये तीन स्तर थे - ग्राम सभा, मध्य एवं जिला पंचायत।
- संविधान का भाग IX-क प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार के न्यायपालिकाओं की व्यवस्था करता है, ये हैं - संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद् और वृहद शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

- ***अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न***

1. निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है?

A. सशक्त केन्द्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था
B. केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
C. उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन
D. राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन
उत्तर - D

2. निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था?

A. न्यायिक समीक्षा
B. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
C. संसदीय विशेषाधिकार
D. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
उत्तर - C

3. भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ....से ली गई है।

A. रूस B. इंग्लैंड
C. संयुक्त राज्य D.जर्मनी

उत्तर - A

4. भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है?

A. फ्रांस B. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. ऑस्ट्रेलिया D. यूके

उत्तर - D

5. भारत के संविधान का मूल दस्तावेज ____ द्वारा लिखित है?

A. डॉ. भीमराव अम्बेडकर
B. सरोजिनी नायडू
C. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
D. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उत्तर - (C)

6. संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

A. जवाहरलाल नेहरू
B. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
C. डॉ राजेन्द्र प्रसाद
D. सरदार वल्लभ भाई पटेल
उत्तर - B.

7. निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
B. जवाहरलाल नेहरू
C. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
D. सरदार पटेल
उत्तर - C

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

(i) देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण
(ii) भाषायी एवं सांस्कृतिक एक रुपता
(iii) वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क
(iv) प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण योजना एवं उनका संवर्धन।

- **1 नवम्बर 1956 को 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित** प्रदेशों का गठन किया गया।

14 राज्य

1. आन्ध्रप्रदेश
2. असम
3. मुंबई
4. बिहार
5. जम्मू कश्मीर
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. मैसूर
9. मद्रास
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली
हिमाचल प्रदेश
मणिपुर
त्रिपुरा
अण्डमान निकोबार
लंका द्वीप मीनिकाय, अमीनदीवी द्वीप समूह

1. 2 जून 2014 में आन्ध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना।
2. **भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य बना।**
3. भाषा तेलगू, राजधानी कुरनूल, गुंटूर में हाइकोर्ट स्थापित हुआ।
4. 2014 में भारत में 28 राज्य 8 केन्द्र शासित प्रदेश थे।

अध्याय – 6

नागरिकता

अर्थ एवं महत्व

भारत में दो तरह के लोग रहते हैं।

1. नागरिक (भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य, राजनैतिक अधिकार प्राप्त)
2. विदेशी (ये अन्य राज्य के नागरिक होते हैं।)

विदेशी

मित्र (रूस) (भारत के साथ सकारात्मक संबंध)
शत्रु (पाक) (जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो।)

- **विदेशी गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते (Art- 22)**

भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं -

1. धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (Art-15)
2. लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार (Art-16)
3. वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (Art - 19)
4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art 29 व 30)।
5. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
6. संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
7. सार्वजनिक पदों, जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायलय के न्यायधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।

संवैधानिक उपबन्ध

- संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2015 में संशोधन किया गया।
- संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने –

1. एक व्यक्ति, जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है। ये शर्ते है- यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता-पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू हो के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो ।
2. एक व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो वह भारत का नागरिक बन सकता है- यदि वह 19 जुलाई, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने समान्यत: भारत में निवास किया हो; और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में अवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए छः माह तक भारत में निवास आवश्यक है । (Art - 6)
3. एक व्यक्ति, जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आये तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद छह माह तक रहना होगा (Art - 7)
4. एक व्यक्ति, जिसके माता पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिज्ञ तरीके से पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो । यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके (Art-8)

नागरिकता का अर्जन

- जन्म से
- वंश के आधार पर
- पंजीकरण द्वारा
- प्राकृतिक रूप से
- क्षेत्र समाविष्ट द्वारा

नागरिकता की समाप्ति

- स्वैच्छिक त्याग
- बर्खास्तगी के द्वारा
- वंचित करने द्वारा

स्वैच्छिक त्याग :- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। ऐसी घोषणा के उपरान्त वह भारत का नागरिक नहीं रहता। अपनी नागरिकता त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केन्द्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिक बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है।

बर्खास्तगी के द्वारा :

यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जायेगी । हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो ।

वंचित करने द्वारा :- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि

(i) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।
(ii) यदि नागरिकता के प्रति अनादर जताया हो ।
(iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।
(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।
(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

<u>एकल नागरिकता</u>

- **भारत में एकल नागरिकता है।**
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- **लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।**
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

अध्याय – II

उपराष्ट्रपति

भूमिका

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 63 निर्धारित करता है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा' ।** यह पद देश का द्वितीय सर्वोच्च पद है । आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के पश्चात् है । उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर अपनाया गया है । वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में 5 अगस्त 2017 को निर्वाचित हुए ।

  Note- जगदीप धनकड भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11अगस्त 2022 को निर्वाचित हुए

  योग्यता अर्हताएँ-

  उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं:
- वह भारत का नागरिक हो
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
- वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो ।
- वह, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किस स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो ।
- किन्तु, एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद 'लाभ के पद' नहीं माने जाते हैं । संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है।
- यदि वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, अपना स्थान, जिस तारीख से उसने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, उस तारीख को रिक्त कर दिया है या इस हेतु अलग से इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।
- इसके अतिरिक्त, **उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार को, कम से कम 20 प्रस्तावकों तथा 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ।**

निर्वाचक

राष्ट्रपति की भाँति, उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनायी जाती है । **वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है ।** यह निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो मामलों में भिन्न है

- **इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य (राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में केवल निर्वाचित सदस्य) शामिल होते हैं ।**
- **इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं** (राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)।
- किन्तु, दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है अर्थात्, **राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है ।**

पदावधि

- उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है । हालाँकि, वह **अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है ।** उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है । **उसे हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है । उसे राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर प्रभावी बहुमत** (Effective Majority) **द्वारा हटाया जा सकता है** (अर्थात् सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) **तथा इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है ।** परंतु, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो । ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न कर ले । वह पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है ।

पद रिक्तिता

उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है:

- 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर ।
- उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर ।
- उसे बर्खास्त करने पर ।
- उसकी मृत्यु पर ।
- यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए ।

जब पद रिक्ति का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव आयोजित किये जाने का प्रावधान हैं ।

यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाने चाहिए । नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता हैं ।

कार्यकारी शक्तियाँ

शक्तियाँ और कार्य

उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरी प्रकृति के होते हैं:

- **वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता हैं ।** इस संदर्भ में, उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भाँति ही होते हैं । इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता हैं, जो सीनेट (अमेरिका के उच्च सदन) के चेयरमैन के रूप में कार्य करता हैं ।
- जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता हैं तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता हैं । कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता हैं । इसके अतिरिक्त, वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक, उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता हैं ।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता हैं । इस अवधि में उसको कार्यों का निर्वाह, उपसभापति द्वारा किया जाता हैं ।**

भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना

- यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति मॉडल पर आधारित हैं, परंतु इसमें काफी भिन्नता हैं । अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता हैं । दूसरी ओर, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता हैं । वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले ।
- इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति हेतु कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया हैं तथा यह पद भारत में मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने हेतु सृजित किया गया हैं ।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
• राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता हैं जो संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता हैं ।	• निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तक ही सीमित हैं । राज्य विधान सभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते ।

दोनों दशाओं में निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ।

अर्हताएँ :-

भारत का नागरिक हो ।	भारत का नागरिक हो ।
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।	35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हों ।
लोक सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों ।	राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो ।

दोनों दशाओं में कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

पदावधि:-

पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।	पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।

पद त्याग :-

उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता हैं।	राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता हैं।

हटाया जाना:-

महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं।	**महाभियोग नहीं होता किंतु राज्य सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिसमें लोक सभा सहमत हो हटाया जा सकता हैं।**

पुनर्निर्वाचन:-

चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता हैं।	चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता हैं।

कृत्य :-

संविधान के अधीन अनेक कृत्य	केवल एक ही कृत्य हैं, राज्य सभा के सभापति के रूप में कृत्य करना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहन करता है।

प्रश्न. अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं -

a. अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य

b. प्रतिनिधि सभा के सदस्य

c. सीनेट के सदस्य

d. इनमें से कोई नहीं

उत्तर - d

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ?

a. जस्टिस मोहम्मद हिदायुतुल्लाह

b. आर वेंकटरमन

c. कृष्णकांत

d. डॉ. जाकिर हुसैन

उत्तर - c

सारांश

- संविधान के भाग V के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है।
- राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और दिल्ली तथा पांडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। (निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होना)।

• केंद्रीय सूचना आयोग

- केंद्रीय सूचना आयोग **एक सांविधिक निकाय** है, जिसकी **स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गयी,**
- इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है ।
- सूचना आयोग केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है

सूचना का अधिकार (right to Information)
किसी लोकतंत्र की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें से एक है शासन में पारदर्शिता और सही सूचनाओं तक लोगों की पहुँच।

- खासकर के भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है। वैसे भारतीय संविधान ढ़ेरो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- सूचना का अधिकार **(RTI) एक ऐसा अधिकार है जो एक एड ऑन (Add on) की तरह काम करता है और अन्य अधिकारों को भी सशक्त (Strong) बनाता है।**
- दूसरी बात कि ये प्रशासन या प्राधिकरण में सतर्कता बनाए रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
- इसकी शुरुआत वैसे तो 1948 से ही मानी जाती हैं जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया।
- जिसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- **भारत में इसे 2005 में एक अधिनियम के द्वारा अपनाया गया** और केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- "सूचना का अधिकार" से यहाँ मतलब पहुँच सकने योग्य सूचना से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है, इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण;
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(iii) सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
(iv) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना है।"

- सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।"
- थॉमस जैफरसन – (अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-
सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act-RTI), 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे शासन में पारदर्शिता और नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

- **केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्तूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी।** इसकी स्थापना इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के मा ध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना
इस आयोग में एक **मुख्य आयुक्त** (Chief Commissioner) **एवं 10 सूचना आयुक्त** (Information commissioner) होते हैं। इन **सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अलावा**

लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनट मंत्री होता है।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों।

मुख्य सूचना आयुक्त (till now) list

s.No	**Name**	**Took office**	**Left office**
1.	Wajahat Habibullah	26 October 2005	19 September 2010
2.	A. N. Tiwari	30 September 2010	18 December 2010
3.	Satyananda Mishra	19 December 2010	4 September 2013
4.	Deepak Sandhu	5 September 2013	18 December 2013
5.	Sushma Singh	19 December 2013	21 May 2014
6.	Rajiv Mathur	22 May 2014	22 August 2014
7.	Vijai Sharma	10 June 2015	1 December 2015
8.	Radha Krishna Mathur	4 January 2016	24 November 2018
9.	Sudhir Bhargava	1 January 2019	11 January 2020
10.	Bimal Julka[3]	19 February 2020	31 October 2020
11.	Yashvardhan Kumar Sinha[3][6]	7 November 2020	.....

कार्यकाल एवं सेवा शर्तें (Tenure and service conditions)

- मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त **5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों** में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। पर वे पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते।
- राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है:

(1) यदि वे दीवालिया (Bankruptcy) हो गये हों; या

(2) राष्ट्रपति की नजर में यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो; या

(3) यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों; या यदि वे राष्ट्रपति की नजर में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों; या

(4) वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुये पाये जाते हैं, जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो।

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **एक विधिक निकाय** है, **परंतु यह एक संविधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1993 में मानव सुरक्षा अधिकार कानून के तहत की गई थी।** मानवाधिकार की रक्षा करना इस आयोग का प्रमुख कार्य है। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं उसकी रक्षा करना इसका प्रमुख कर्त्तव्य होता है।

आयोग का गठन

1. आयोग बहुसदस्यीय है **जिसमें एक अध्यक्ष एवं पाच सदस्य होते हैं।**
2. इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होनी चाहिए।
3. अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश इसके सदस्य हो सकते हैं।
4. दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकार कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसके सदस्य हो सकते हैं।
5. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जातीय / जनजातीय आयोगों के अध्यक्ष इसके स्वतः सदस्य होते हैं।
6. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर होता है।
7. इस नियुक्ति कमेटी में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री शामिल होते है
8. **अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। या वह अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है।**
   पुन : नियुक्ति के लिए पात्र हैं ।
9. अध्यक्ष एवं सदस्य यह पद धारण करने के बाद केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकते।

आयोग के प्रमुख कार्य

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना खासतौर पर लोकसेवकों एवं पदाधिकारियों की तरफ से।
2. मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में न्याय दिलवाने के उद्देश्य से न्यायालय का सहारा लेना ।
3. समय-समय पर जेलों तथा अन्य स्थानों की छानबीन करना तथा मानवीय अधिकारों को लागू करवाना।
4. मानवाधिकार की रक्षा के लिए संशोधन की सलाह देना ।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मूल्यांकन करना ।
6. मानवाधिकारों से संबंधित शोध पत्रों को जारी करना तथा लागू करवाना।
7. मानवाधिकारों को आम जनता में लोकप्रिय बनाना तथा जन जागरूकता लाना।
8. वे सभी गैर सरकारी संस्थाएँ जो मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही है, को प्रोत्साहित करना ।
9. उन सभी कदमों को उठाना जिसके तहत मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

आयोग की कार्य प्रणाली :-

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी एक कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है।
- आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है।
- आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएँ ले सकता है।
- आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए । वर्ष से अधिक हो गया है। दूसरे शब्दों में, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए । वर्ष से कम समय हुआ हो ।

- आयोग जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है -

- यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
- यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।

- ## स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ

प्राचीनकाल में

- वैदिककाल में सभा , समिति , विदथ नामक राजनीतिक संस्थायें थी जो स्थानीय पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थी ।
- अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है जो ग्राम का प्रमुख होता था ।
- बौद्धकाल में ' ग्राम ' का मुखिया ' ग्रामयोजक ' होता था ।
- मौर्यकाल में ग्रामसभा का मुखिया ' ग्रामिक ' कहलाता था ।
- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था स्वरुप ' चोल साम्राज्य ' में प्राप्त होता है । चोलकाल में पंचायत को ' ऊर ' कहा जाता था ।
- मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ' ग्राम ' थी जिसका मुखिया ' मुकद्दम ' या ' चौधरी ' कहलाता था तथा मुगलकाल में नगर का प्रमुख ' कोतवाल ' कहलाता था ।

ब्रिटिश भारत में

- ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरम्भ वर्ष 1688 से मद्रास नगर निगम की से माना जाता है
- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ' लॉर्ड रिपन ' को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड ग्राम पंचायत , न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया । लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को ' स्थानीय शासन ' का मैग्नाकार्टा कहा जाता है ।
- वर्ष 1919 में मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत् स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों में शामिल किया गया तथा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रान्तीय / राज्य सूची में रखा गया ।

- महात्मा गाँधी ने ' ग्राम स्वराज्य ' की कल्पना अपनी पुस्तक ' माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया ' में की ।
- पंचायतीराज राज्य सूची का विषय है ।

पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग -4 (नीति - निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत (पंचायतीराज) की व्यवस्था की गई है ।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर , 1952 को ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी (नौकरशाहों) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा । 2 अक्टूबर , 1953 को ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' चलाया गया । इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे ।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' व ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।

- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र.सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवंत राय मेहता	• लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की । • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । **i.जिला स्तर पर - जिला परिषद** **ii. ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर - पंचायत समिति** **iii. ग्राम स्तर पर (सबसे निचला स्तर) - ग्राम पंचायत** • जिला परिषद का अध्यक्ष , जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की । • इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।
2.	1977	अशोक मेहता	• पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए । **i. जिला स्तर जिला परिषद** **ii.मण्डल स्तर पर पंचायत समिति** • इस समिति ने ग्राम पंचायत (निम्न स्तर) को समाप्त करने की सिफारिश की । • इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की । • दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश। • पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की । • न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की ।
3.	1985	जी.वी.के. राव समिति	• पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- **i. राज्य स्तर पर -** राज्य परिषद **ii. जिला स्तर पर -** जिला परिषद **iii. खण्ड स्तर पर-** पंचायत समिति **iv. ग्राम स्तर पर -** ग्राम पंचायत • इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की । • इस समिति ने अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नगरपालिकाएँ

- स्थानीय नगरीय शासन में नगरपालिका प्रणाली का प्रावधान है, जिसे संवैधानिक वैधता प्राप्त है।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (त) से 243 (य) (छ) के तहत इसका विशेष उल्लेख किया गया है।
- यह अधिनियम 1 जून , 1993 से प्रभावी हुआ ।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग -9 क, अनुच्छेद 243P (त) से 243 ZG (य) (छ) (18 अनुच्छेद) व अनुसूची -12 जोड़ी गई ।
- अनुसूची -12 में नगर पालिकाओं 18 विषयों का उल्लेख है ।
- भाग 9 क का नाम ' नगर पालिकाएं दिया गया ।

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243Q (थ)** के अनुसार तीन प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है

1. नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए वह क्षेत्र जो ग्रामीण व शहरी दोनों का सम्मिलित रूप है। 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्र में
2. नगरपालिका परिषद छोटे-छोटे नगरों के लिए 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में।
3. नगर निगम वृहत नगरों के लिए जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है।

किसी नगर को किस प्रारूप में रखा जाएगा यह निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को है।

NOTE : नगर पालिकाएं शब्द का अर्थ यहां नगरीय संस्थाओं ' के त्रिस्तरीय ढाँचे से है (नगर पंचायत, नगर परिषद्, नगर निगम) ।

अनुच्छेद	विवरण
243 P (त)	परिभाषाएँ
243 Q (थ)	नगर पालिकाओं का गठन
243 R (द)	नगर पालिकाओं की संरचना
243 S (ध)	वार्ड समितियाँ आदि का गठन और संरचना
243 T (न)	स्थानों का आरक्षण
243 U (प)	नगर पालिकाओं की अवधि आदि ।
243 V (फ)	सदस्यता के लिए निरर्हताएं
243 W (ब)	नगर पालिकाओं आदि की शक्तिया , प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243 X (भ)	नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां
243 Y (म)	नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग
243 Z (य)	नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
243 ZA (य क)	नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग
243 ZB (य ख)	नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना ।
243 ZC (य ग)	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना ।
243 ZD (य घ)	जिला योजना के लिए समिति ।
243 ZE (य ङ)	महानगर योजना के लिए समिति
243 ZF (य च)	विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना ।
243 ZG (य छ)	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ।

अनुच्छेद 243 ZD (य घ) जिला योजना / आयोजना / नियोजन समिति का उल्लेख

- जिला आयोजना समिति का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया । इस समिति की सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है ।
- इस समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है ।
- इस समिति के 20 निर्वाचित सदस्य (4/5) पंचायतीराज व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएगे ।
- इस समिति के 3 पदेन सदस्य - जिला कलेक्टर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEG) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते है ।
- इस समिति में 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं ।

बिहार की राजव्यवस्था

अध्याय – I

राज्यपाल

बिहार की राज्य सरकार तीन इकाइयों में विभाजित है।

1. कार्यपालिका
2. विधायिका
3. न्यायपालिका

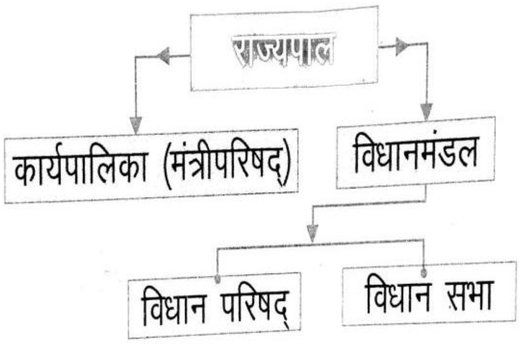

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल के पद व अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है।
- राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही संचालित होता है। इस सन्दर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, किन्तु फिर भी वह मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करता है।
- सामान्यतः भारत में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार किसी एक व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है।

राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
3. वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो।
4. वह भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
5. वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो ।
6. राज्यपाल पद पर चयनित होने के लिए उसे राज्य विधान सभा के सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है,किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है।
- राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
- राजपाल को नि:शुल्क आवास भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है।
- अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के वेतन,अधिकारों एवं सुविधाओं को उसकी पदावधि तक कम नहीं किया जा सकता है।
- राज्यपाल को 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे अधिक वेतन है।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसको वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है ।

राज्यपाल के अधिकार

- भारतीय संविधान राज्यपाल को कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विशेष परिस्थितियों में विवेकाधिकार भी प्राप्त हैं।

मजदूर, बाल विवाह, समुचित शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित करना, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, आदि में आयोग संज्ञान लेता है।

- **राज्य महिला आयोग**

- राज्य में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और कल्याण हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।
- बिहार में बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन 2001 में किया गया ।
- महिलाओ को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जिला स्तर पर विभिन्न तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन आयोग द्वारा किया जाता है।
- राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- 7 सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक पिछड़ी जाति, एक विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाला, एक किसी स्वयंसेवी संस्था का अनुभव रखनेवाली एवं एक समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी महिला को नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।
- राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है ।
- वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिल मणि मिश्रा है ।
- बिहार में प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मंजू प्रकाश थी ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है । जिनका कार्यकाल 07 अगस्त 2018 से वर्तमान तक है ।

- **बिहार लोक सेवा आयोग**

- अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भारत में राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है।
- बिहार लोक सेवा आयोग उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आया था।
- बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल, 1949 को की गयी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र (जो पहले पूर्ण हो) होता है।
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
- बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारम्भ में रांची में अपने मुख्यालय के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज प्रारम्भ किया। राज्य सरकार ने आयोग के मुख्यालय को रांची से पटना में स्थानांतरित करने का फैसला किया और इसे अंततः 1 मार्च 1951 को पटना में स्थानांतरित कर दिया गया।
- बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। जो आवेदकों की योग्यता के अनुसार भारतीय राज्य बिहार में सिविल सेवाओं के लिए आवेदकों का चयन करता है।
- बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा थे। श्री राधा कृष्ण चौधरी आयोग के पहले सचिव थे।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ और राज्यों के लोकसेवा आयोग का कर्तव्य क्रमशः संघ की सेवाओं तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है । यह आयोग की परीक्षाओं के नियम पाठ्यक्रम के विषय आदि का भी निर्धारण करता है ।
- अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष आर.के. महाजन के स्थान पर आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आर.के. महाजन का कार्यकाल 4 अगस्त, 2022 को समाप्त हो गया है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग, आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	कब से	कब तक
1.	श्री राजनधारी सिन्हा	01/04/1949	31/03/1953
2.	डॉ. अमरनाथ झा	01/04/1953	01/09/1955
3.	श्री भगवत प्रसाद	02/09/1955	02/09/1956
4.	श्री के.एस.वी. रमन	03/09/1956	31/05/1962
5.	श्री बी.एन. रोहतगी	13/06/1962	15/01/1968
6.	श्री जगत नंदन सहाय	22/02/1968	30/06/1972
7.	डॉ. एच.एन. यादव	01/07/1972	01/02/1973
8.	डॉ. रामअवतार शुक्ला	02/02/1973	01/02/1979
9.	डॉ.कुमार विमल	09/02/1979	08/02/1985
10.	श्री.ए.के.एम. हसन	15/05/1985	31/08/1989
11.	श्री एस.एस. धनोआ	30/09/1989	14/10/1989
12.	श्री कृत्भु देव	15/10/1989	22/12/1989
13.	श्री के.के. श्रीवास्तव	01/01/1990	07/01/1991
14.	डॉ. (प्रो.) आश्रय यादव	23/01/1991	22/01/1997
15.	डॉ. (प्रो.) लक्ष्मी राय	25/01/1997	24/01/2003
16.	डॉ. (प्रो.) रजिया तबस्सुम	27/03/2003 (Acting)	29/07/2004
17.	डॉ. (प्रो.) राम सिंघासन सिंह	30/07/2004	30/06/2006
18.	श्री एन. के. अग्रवाल	01/03/2006 (Acting)	26/10/2006
		27/10/2006	14/01/2008
19.	श्री ए.के.चौधरी	15/01/2008	02/08/2009
20.	श्री आर.जे.एम.पिल्लई	03/08/2009	15/11/2011
21.	श्री के.सी. साहा	16/11/2011	26/03/2015
22.	श्री आलोक कुमार सिन्हा	27/03/2015	16/04/2018
23.	श्री शिशिर सिन्हा	29/04/2018	19/07/2020
24.	श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी	23/07/2020 (Acting)	31/08/2020
25.	श्री आर.के महाजन	01/09/2020	04/08/2022
26.	श्री अतुल प्रसाद	05/08/2022	वर्तमान

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/y7qfk6

Online order - https://bit.ly/449wOMs

Call करें - 9887809083